न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सूर्यकान्त शर्मा RAS

अनुवान विकाश कुमार **बनाम** भवानी शंकर आदि

दावा घोषणात्मक हस्ब दफा 88 आर.टी.एक्ट

वाद संख्या 44 वर्ष 2024

निर्णय दिनांकः—23.07.2024

1. विकाश कुमार पुत्र भवानी शंकर जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)

—:वादी:—

बनाम

1. भवानी शंकर पुत्र मोहन दास जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)
2. ममता स्वामी पुत्री भवानी शंकर जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)
3. चंद्रकला पत्नी भवानी शंकर जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तारानगर जिला चूरू

—:प्रतिवादीगण:—

5. इन्द्र चन्द स्वामी पुत्र मोहन दास जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)
6. भंवरी पत्नी इन्द्र चन्द स्वामी जाति स्वामी साकिन सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)
7. शाखा प्रबन्धक बी.आर.के.जी.बी. शाखा सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक हस्ब दफा 88 आर. टी. एक्ट

उपस्थिति :—

1. **श्री मूलचन्द गोस्वामी एड. वास्ते वादी**
2. **श्री केदारमल स्वामी एड. वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व 5, 6**
3. **राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार तारानगर**

—: निर्णय :—

वादी द्वारा स्व. मोहनदास व प्रतिवादी संख्या 1 के वंशवृक्ष के विवरण के साथ प्रस्तुत इस दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 638 में खसरा नं 144 तादादी 08.5354 हैक्टयेर बा.दौयम, खसरा नं 790 तादादी 07.7261 हैक्टयेर बा.दौयम, खसरा नं 833 तादादी 06.7777 हैक्टयेर कुल तादादी 23.0392 हैक्टेयर वाके रोही सात्यूं तहसील तारानगर वादी के दादा मोहनदास पुत्र गणपतदास की खातेदारी कृषिभूमि रही है। मोहनदास के स्वर्गवास के बाद यह भूमि जरिये इंतकाल संख्या 5606 दिनांक 14.02.2024 उनके वारिसों, पुत्र भवानी शंकर प्रतिवादी संख्या 1, पुत्र इंद्रचंद गौण प्रतिवादी संख्या 5 व पुत्रियों निलम देवी व रजना देवी के नाम विरासतन खातेदारी दर्ज हुई। निलम देवी व रजना देवी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 5 के हक में छोड़ देने पर विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 5 के नाम वहिस्सा बराबर दर्ज हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित तादादी का 303/1822 हिस्सा अपनी पत्नी व वादी की माता प्रतिवादी संख्या 3 चंद्रकला को दान कर दी। इसी प्रकार गौण प्रतिवादी संख्या 5 ने अपनी 1/2 हिस्सा अपनी पत्नी प्रतिवादी संख्या भंवरी को दान कर दी। वर्तमान में विवादित तादादी में प्रतिवादी 1, 304/911 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 303/1822 हिस्सा व गौण प्रतिवादीगण 5 व 6 बहिस्सा बराबर 1/2 के खातेदार दर्ज है। उपरोक्त कृषिभूमि ही विवादित है। विवादित कृषिभूमि वादी के दादा मोहनलाल की भूमि होने से उसकी विरासतन पैतृक भूमि है। कर्ता खानदान होने से प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरासतन खातेदारी में दर्ज हुई जो

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

आज तक चली आ रही है। वादी का परिवार हिन्दू विधि की मीताक्षरा पद्धति से शासित होता है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 2 का जन्म से (By Brith) उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर हिस्सा बनता है। वादी के दादा ने विवादित भूमि का बंटवारा अपने जीवन काल में ही मौखिक पारिवारिक समझौता से कर दिया था। आधा हिस्सा गौण प्रतिवादी संख्या 5 इन्द्रचन्द को दिया गया। शेष आधे हिस्से में से 3.8440 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भवानी शंकर, 3.8440 हैक्टेयर भूमि ही वादी विकाश कुमार तथा 3.8314 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 चन्द्रकला के हिस्सा पांती में आयी। परिवार की लड़कियों को इस भूमि में हिस्सा नहीं दिया गया। इसके बदले उन्हें नकदी जेवरात दिए गये। स्व. मोहनलाल की पुत्रियों नीलम देवी व रंजना देवी ने अपना हिस्सा वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व गौण प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने भी अपने हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग दिया। वादी, प्रतिवादी संख्या 1, 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 5, 6 उक्त हिस्सा पांती के अनुसार ही बंटवारा कर मौके पर अलग–अलग सींव कायम कर काश्त करते आ रहे हैं। विवादित भूमि कर्ता खानदान होने से पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। इसने प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आयी भूमि उसे दान कर दी है। वादी भी अपने हिस्से में आई कृषिभूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है लेकिन अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन में लोभ–लालच आ गया है। वह वादी के हिस्सा पांती में आई भूमि को खुर्द–बुर्द कर वादी को उसके हक से वंचित करना चाहता है। उसने भूमि विक्रय के लिए ग्राहक भी तलाश लिए हैं। अतः वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराये। इसलिए यह घोषणात्मक वाद पेश किया जा रहा हैं। यह कि प्रतिवादी संख्या 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 के खिलाफ घोषणात्मक अनुतोष नहीं चाहा गया है। लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 5, 6 सह खातेदार होने से इन्हें तथा इनकी भूमि बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सात्यूं के रहन दर्ज होने से बैंक को वाद पक्षकार बनाया गया है।

वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से तहसील कार्यालय में जाकर उसका हिस्सा नाम करवाने के लिए कई बार कहा मगर प्रतिवादी सं. 1 पहले तो हां करता रहा आखिर अब दिनांक 20.03.2024 को बमुकाम तारानगर में ऐसा करने से इन्कार भी कर दिया। इसलिये यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषिभूमि दादालाई, पारिवारिक बंटवारानामा होने व सहकृषक होने से प्राप्त हैं। आदि–आदि।

इस प्रकार वादी ने घोषणात्मक वाद पेश कर विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर के खाता संख्या 638 में खसरा नं 144 तादादी 08.5354 हैक्टयेर, खसरा नं 790 तादादी 07.7261 हैक्टयेर, खसरा नं 833 तादादी 06.7777 हैक्टयेर कुल तादादी 23.0392 हैक्टेयर में से 3.8440 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र पेश होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 5, 6 का वकालतनामा व जवाब इकबालदावा श्री केदारमल स्वामी अधिवक्ता ने पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार तारानगर प्रतिवादी संख्या 4 की तरफ से राजपैरोकार ने उपस्थित आकर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किये गये हकत्याग से 500 रूपये की राजस्व अपवंचना होना जाहिर किया। अन्य तरह से राज्यहित प्रभावित नहीं होना अंकित किया। इस पर वकील वादी ने 500 रूपये का स्टाम्प प्रस्तुत करने की सहमति व्यक्त की।

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

दावा का कोई ठोस खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादी ने साक्ष्य नहीं कराये तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार दावा निर्णित करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि पूर्व में वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व. मोहन दास की खातेदारी रही है। यही भूमि प्रतिवादी भावानी शंकर के नाम विरासतन दर्ज हुई है। अत दादालाई है। वादी स्व. मोहनदास का पौत्र व प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है। इसका जन्म से ही हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना हिस्सा वादी को त्याग दिया है। इकबाल दावा से वाद स्वीकार किया गया है। दावा डिक्री किया जाये। वकील प्रतिवादीगण ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया। राजस्व अपवंचना 500 रूपये के स्टाम्प वकील वादी द्वारा प्रस्तुत कर दिये हैं जिस पर राजपैरोकार ने बहस में भाग नहीं लिया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। दावा की प्लीडिंग के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व गौण प्रतिवादी संख्या 5, 6 स्व. मोहनदास के वंशज हैं। पत्रावली के संलग्न नकल इंतकाल संख्या 5606 दिनांक 14.02.2024 से भूमि स्व. मोहनदास के नाम की खातेदारी होना सावित है। वाद पक्षकारान के लिए पैतृक भूमि है। विरासतन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। इनमें पिता–पुत्र का रिश्ता है। वादी का हिस्सा By Birth है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ममता स्वामी सगे भाई–बहन हैं। विरासतन भूमि में बहिन भाई को हकत्याग कर सकती है। हक त्याग पेटे 500 रूपये का स्टाम्प क्रमांक V 703918 दिनांक 23.07.2024 पेश कर दिया गया है। प्रतिवादीगण ने जबाव इकबालदावा में वादी के दावा को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी सुरत में वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी बरूये इकबालदावा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषिभूमि रोही ग्राम सात्यू तहसील तारानगर के खसरा नं 144 तादादी 08.5354 हैक्टयेर, खसरा नं 790 तादादी 07.7261 हैक्टयेर, खसरा नं 833 तादादी 06.7777 हैक्टेयर कुल तादादी 23.0392 हैक्टेयर वाके रोही सात्यूं तहसील तारानगर में वादी विकाश कुमार 3.8440 हैक्टेयर भूमि का खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड कलमजन कर 3.8440 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 भवानी शंकर के हिस्से से कम कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)